न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक

(पीठासीन अधिकारीः रतनलाल योगी, आर.ए.एस.)

दावा सं0– 33/2019
प्रविष्टि दिनांक– 09.05.2019
निर्णय दिनांक– 11.02.2020

उनवान

1. अब्दूल शकूर उर्फ आहमद मियां पुत्र अब्दुल सत्तार कोम मुसलमान निवासी गौसू हलवाई की गली, शार्गिद पेशा टोंक।
2. अब्दुल रशीद पुत्र अब्दुल सत्तार कोम मुसलमान निवासी गौसू हलवाई की गली, शार्गिद पेशा टोंक।
3. जावेद सत्तारी पुत्र अब्दुल सत्तार कोम मुसलमान निवासी गौसू हलवाई की गली, शार्गिद पेशा टोंक।
4. इफ्तेखाउन्निसा पत्नि अजीजुर्रहमान पुत्री अब्दुल सत्तार कोम मुसलमान निवासी गौसू हलवाई की गली, शार्गिद पेशा टोंक।
5. खुरशीदउन्निसा पत्नि अब्दुल गफ्फार पुत्री अब्दुल सत्तार कोम मुसलमान निवासी गौसू हलवाई की गली, शार्गिद पेशा टोंक।
6. जमीलुउन्निसा पत्नि मोहम्मद आसिफ पुत्री अब्दुल सत्तार कोम मुसलमान निवासी गौसू हलवाई की गली, शार्गिद पेशा टोंक।
7. मुजीबुन्निसा पुत्री अब्दुल सत्तार कोम मुसलमान निवासी गौसू हलवाई की गली, शार्गिद पेशा टोंक।

वादीगण

बनाम

1. जमील अहमद खां पुत्र नौशेखा कोम मुसलमान निवासी धन्नातलाई, टोंक।
2. सलीम पुत्र नौशेखा कोम मुसलमान निवासी धन्नातलाई, टोंक।
3. अब्दुल हई पुत्र नौशेखा कोम मुसलमान निवासी धन्नातलाई, टोंक।
4. नईम पुत्र नौशेखा कोम मुसलमान निवासी धन्नातलाई, टोंक।
5. तहसीलदार टोंक
6. उपपंजीयक, टोंक

प्रतिवादीगण

उपस्थित– श्री शुजाअत हुसेन–वकील वादीगण
श्री जितेन्द्र कुमार जैन–वकील प्रतिवादीगण

निर्णय

दावा बाबत्– उद्घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज तथा स्थायी निषेधाज्ञा
प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश–7, नियम–11 व धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता

वादी ने एक वादपत्र प्रस्तुत निवेदन किया कि भूमि खसरा नम्बर 5329 रकबा 8 बीघा 13 बिस्वा व 6425 रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा कुल रकबा 15 बीघा 4 बिस्वा वाके ग्राम टोंकशर्की तहसील व जिला टोक राजस्थान में स्थित है। जो सहवन से प्रतिवादीगण के पिता नौशेखां की खातेदारी में अंकित हो गयी एंव नौशेखा की खातेदारी भूमि खसरा नम्बा 6644 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा व 6662 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा सहवन से अब्दुल कुददुस खां के खाते में दर्ज हो गयी थी जिसके सम्बन्ध में असिस्टेंट सेटलमेन्ट ऑफिसर जयपुर के समक्ष दिनांक 19.09.1966

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज.)

Scanned with CamScanner

को एक आवेदन नौशे खा व वादीगण के पिता व अब्दुल कुददुस खां के पुत्र अब्दुल सत्तार द्वारा रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने बाबत पेश की गयी थी जिस पर दिनांक 26.10.1966 एएसओ द्वारा आदेश पारित किया जाकर भूमि खसरा नम्बर 5329 रकबा 8 बीघा 13 बिस्वा, 6425 रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा कुल रकबा 15 बीघा 4 बिस्वा वादीगण के दादा श्री अब्दुल कुददुस खां की खातेदारी में दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया गया। और आदेश में दिनांक 25.02.1967 को कागजात में अमल दरामद कर दिये जाने का नोट भी अंकित कर दिया गया। श्री अब्दुल कुददुस खां का सन 1945 में देहान्त हो गया ओर वादीगण के पिता अब्दुल सत्तार उनके एक मात्र पुत्र उत्तराधिकारी थे जिनके एक नाम श्री अब्दुल कुददुस खां की खातेदारी की उपरोक्त वर्णित आराजियात का इन्द्राज प्रथम बार जरिये नामांतकरण सं. 425 दिनांक 15.12.1978 की पटवारी की फौती की रिपोर्ट पर दिनांक 20.12.1978 को वादीगण के पिता अब्दुल सत्तार के नाम तस्दीक किया गया। श्री अब्दुल सत्तार का दिनांक 17.07.1990 को मुकाम टोंक में देहान्त हो गया है। वादीगण के पिता अब्दुल सत्तार के नामांतकरण सं. 425 के पश्चात प्रतिवादीगण के पिता नौशेखां पुत्र कल्लू उर्फ अब्दुल हकीम के हक में श्री अब्दुल सत्तार द्वारा दिनांक 23.03.1970 को नौशेखां के हक में की गयी तथाकथित रजिस्ट्री के आधार पर दिनांक 26.12.1978 को नामांतकरण सं. 426 तस्दीक किया गया जब कि दिनांक 28.03.1970 को आराजियात खसरा नम्बरान 5329 व 6425 कुल रकबा 15 बीघा 4 बिस्वा की खातेदारी का इन्द्राज ही श्री अब्दुल सत्तार पुत्र अब्दुल कुददुस खां के हक में रेवेन्यू रिकार्ड में नहीं हुआ था। प्रतिवादीगण के पिता नौशेखां ने दिनांक 28.03.1970 का एक फर्जी बैचाननामा वादग्रस्त आराजीयात का श्री अब्दुल सत्तार द्वारा अपने हक में तैयार कराया था जिसके आधार पर नामांतकरण सं. 425 तस्दीक होने के दो दिन बाद दिनांक 28.03.1970 अब्दुल सत्तार के बैचाननामे का हवाला अंकित करात हुए अपने पक्ष में वादग्रस्त आराजियात की खातेदारी का इन्द्राज द्वारा नामांतकरण सं. 426 करा लिया। जब कि नामांतकरण सं. 425 तस्दीक किये जाने के पश्चात वादग्रस्त आराजीयात की खातेदारी का इन्द्राज अब्दुल सत्तार के पुत्र एंव पुत्रियों मौजूदा वादीगण के हक में किया जाना चाहिए था। वादीगण के पिता नौशेखां का आराजियात खसरा नम्बर 5329 व 6425 जिनके पूर्व नम्बर 4773 व 4775 व 5939 की बाबत संवत 2037 लगायत 2040 की जमाबन्दी में खातेदारी का अंकन दर्ज किया गया जो कि वादीगण के हितों के विपरित गलत एंव प्रभावहीन है क्योंकि वादीगण के पिता ने कभी भी नौशे खां को वादग्रसत भूमि का बैचान नहीं किया और ना ही ऐसा बैचान खातेदारी के इन्द्राज के बिना किया जाना संभव था और वादीगण के पिता के पक्ष में अब्दुल सत्तार द्वारा जो बैचाननामा दिनांक 28.03.1970 को किया जाना बताया जा रहा है वह वाईड एब इनिशियों है और वादीगण के अधिकारों के विरूद्ध प्रभावहीन घोषित करने का न्यायालय हाजा को पूर्ण अधिकार प्राप्त है। सन् 1990 में नौशे खां के देहान्त के बाद वादग्रस्त आराजियात में से खसरा नम्बर 6425/2 रकबा 1 बिस्वा का कुआ उनके चारों पुत्रों की खातेदारी में अंकित हो रखा है एंव खसरा नम्बर 6425/1 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा श्री जमील अहमद व हब्दुल हई की खातेदारी में गलत रूप से दर्ज हो रहा है एंव खसरा नम्बर 5329/2 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा प्रतिवादीगण जमील अहमद,

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज.)

Scanned with CamScanner

सलीम एंव अब्दुल हई पुत्रान नौशेखां की खातेदारी में दर्ज हो रखा है जब कि प्रतिवादीगण का उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान की खातेदारी से एंव कब्जे काश्त से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। वादग्रस्त आराजियात श्री अब्दुल सत्तार के वारिसान मौजूदा वादीगण की खातेदारी एंव कब्जे शुदा आराजियात है और वादीगण को तहत कानून यह अधिकार प्राप्त है कि वह प्रतिवादीगण के पिता नौशेखां द्वारा अपने हक में फर्जी विक्रय पत्र दिनांक 28.03.1970 के आधार पर अपने खाते में लगायी गयी वादग्रस्त आराजियात का अंकन अपने नाम दर्ज करावें एंव दिनांक 28.03.1970 के फर्जी बैचाननामें को अपने अधिकारों के विरूद्ध प्रभावहीन एंव शून्य घोषित करावें। अतः निवेदन है कि दावा वादीगण बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर तथकथित फर्जी बैचाननामा दिनांक 28.03.1970 को वादीगण के हितों के विरूद्ध प्रभावहीन एंव वाईड एब इनिशियो घोषित किया जावे तथा वादीग्रस्त आराजियात की खातेदारी का इन्द्राज प्रतिवादीगण के नाम से हटाया जाकर वादीगण के नाम दर्ज किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वह स्वंय अथवा ऐजेन्ट रिश्तेदार या अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा वादग्रस्त आराजियात का हस्तांतरण, रहन, दान, बेचान इत्यादि नहीं करे ताफैसला पाबन्द रहे।

उक्त वाद के दौरान ही प्रतिवादीगण ने जरिये अधिवक्ता एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7, नियम 11 व सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किया जिसमे अंकितानुसार प्रस्तुत वाद जो वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया है तथा अपने वादपत्र में जो उन्होने जो अभिवचन अंकित किये गये हे उन अभिवचनों के आधार पर हस्तगत वाद विधि द्वारा वर्जित है, क्योंकि हस्तगत वाद में वादीगण अपने अभिवचन में यह स्वीकार करते है कि वाग्रस्त आराजी को केता नौशेखा ने वादीगण के पिता अब्दुल सत्तार खां से दिनांक 26.06.1970 को क्रय कर लिया था तथा सम्पूर्ण प्रतिफल राशि केता से प्राप्त कर ली थी, परन्तु यह अभिवचन भी कहत है कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अब्दुल सत्तारखां ने केता नौशेखां के पक्ष में निष्पादित नहीं किया, जिसके संबंध में प्रतिवादीगण का स्पष्ट निवेदन है कि उनके द्वारा किया गया उक्त अभिवचन प्रथम दृष्टया ही झूठा व मौखिक है। नौशेखां के पक्ष में निष्पादित विक्रयपत्र पंजीयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होने के पश्चात सम्पूर्ण विधिक प्रकिया अपनाने के पश्चात पंजीबद्ध किया गया तथा रजिस्ट्रार ने रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 में वर्णित सम्पूर्ण प्रकिया अपनाने के पश्चात पुस्तक सं. 1 जिस्द सं. 2 के क्रम सं. 109 के पृ.सं. 49 से 50 पर पंजीबद्ध किया गया जिस पर अब्दुल सत्तार खां के हस्ताक्षर मौजूद है तथा उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व अभिलेख जमाबंदी में नोशेखा के नाम हल्का पटवारी द्वारा नामातकरण भरा गया, जिसकी संबंधित गिरदावर द्वारा जांच तथा सम्पूर्ण प्रकिया अपनाने के पश्चात तहसीलदार टोंक ने उक्त नामांतकरण को स्वीकार किया तथा पटवारी, गिरदावर व तहसीलदार ने उक्त नामांतकरण में लिखित रूप से यह माना कि वादग्रस्त आराजी पर कब्जा खरीद्दार का है। इस प्रकार वादीगण द्वारा कहा गया यह अभिवचन कि उक्त विक्रय पत्र फर्जी है शत् प्रतिशत झूठा है। वादग्रस्त आराजी नोशेखा के नाम रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हुई है तथा उक्त विक्रय पत्र अपने पंजीयन की तिथि से आज दिन तक अस्तित्व में है,

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज.)

Scanned with CamScanner

उसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त, शून्य या अकृत घोषित नहीं किया गया है तथा किसी भी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की वैधानिकता या अर्न्तवस्तु को जांचने या परखने का क्षैत्राधिकार संबंधित सिविल न्यायालय को है न कि किसी राजस्व न्यायालय को जिससे उक्त वाद विधि वर्जित होने से इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है। राजस्व न्यायालय को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के संबंध में किसी भी प्रकार का विपरित आदेश पारित करने का क्षैत्राधिकार नहीं है जिससे उक्त वाद इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है। जहां तक यह स्थापित विधि का संबंध है, उसके संबंध में प्रतिवादीगण का निवेदन है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा–90 यह उपबंधित करती है कि जहां कोई दस्तावेज 30 वर्ष पुराना हो तथा उचित अभिरक्षा से पेश किया गया है, तो उसके असली होने की उपधारणा की जायेगी, इस मामले में भी विक्रय पत्र सन्1970 का हे जो लगभग 50 वर्ष पुराना है, जिससे उसकी सत्यता पर संदेह नहीं किया जा सकता जिससे उक्त वाद इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है। किसी भी रजिस्टर्ड दस्तावेज को चुनौति देने की समय सीमा परिसीमा अधिनियम 1963 में 3 वर्ष दिया गया है तथा वादीगण द्वारा हस्तगत वाद विक्रय पत्र की तिथि से 50 वर्ष के पश्चात प्रस्तुत किया गया है जिससे भी उक्त वाद विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज योग्य है। वादीगण द्वारा अपने वादपत्र में वर्णित अभिवचन के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जो उक्त विक्रय पत्र को फर्जी दर्शाता हो, जबकि उक्त विक्रय पत्र के आधार पर सरकारी कर्मचारियों द्वारा स्वत्व अभिलेख जमाबंदी में जरिये नामांतकरण नोशेखा का नाम अमल दरामद किया गया तथा मौके पर कब्जा माना तथा जहां किसी तथ्य के बारे में दस्तावेजी साक्ष लोक दस्तावेजों में वर्णित हो, वहां मौखिक साक्ष्य का अपवर्जन किया जायेगा, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा–91 कहती है। जिससे उक्त वाद इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को इसी स्तर पर खारिज फरमाया जावे।

जवाब में वादी ने निवेदन किया कि तथाकथित विक्रयपत्र दिनांक 26.06.1970 वाईड एब इनिशियो है, जिसके संबंध में रेवेन्यू न्यायालय उक्त बैचान को वादीगण के अधिकारों के विरूद्ध प्रभावहीन घोषित करने में सक्षम है, क्योंकि दिनांक 26.06.1970 को वाग्रस्त भूमि की खातेदारी का इन्द्राज विकेता के नाम नहीं था न ही विकेता द्वारा ऐसा कोई विक्रय पत्र निष्पादित किया गया। भूमि का नामांतकरण अब्दुल सत्तार के हक में नामांतकरण सं. 425 अब्दुल सत्तार के द्वारा 1978 में तस्दीक किया गया और उसके दो दिन पश्चात 23.03.1970 के बैचान नामे के हवाले से गलत व अनाधिकृत रूप से दिनांक 26.12.1978 को नामांतकरण सं. 426 तस्दीक किया गया जो कि सरासर गलत है। वादीगण को अपने अधिकारों की उद्घोषणा का वाद पेश करने का अधिकार प्राप्त है जिसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। नामांतकरण सं. 425 व 426 से ही यह बात भलिभांति स्पष्ट है कि दिनांक 26.06.1970 का बैचाननामा अनाधिकृत पूर्ण कूटरचित एंव वाईड–एब–इनिशियो है। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आवेदन के समर्थन में कोई शपथपत्र पेश नहीं किया गया है। इसलिए आवेदन खारिज योग्य है। जवाब

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज.)

Scanned with CamScanner

दावा प्रस्तुत करके निवेदन है कि आवेदन दिनांक 10.06.2019 खर्चे सहित खारिज फरमाया जावे।

विद्वान वकील उभय पक्ष की प्रार्थनापत्र पर बहस सुनी गई। बहस के दौरान दोनो पक्षो ने अपने अपने तथ्यों को दोहराया। एंव निम्न नजीरें पेश की गयी :–

CDR-2011 P.N.545
CDR-2013 P.N.69
RLW-2012P.N.3371
WLN-1973P.N.654
RRD-1978P.N.624
DNJ-2012P.N.573
DNJ-2016P.N.1734
DNJ SC-2018P.N.470
DNJSC-2019P.N.1
RRD-2009P.N.750
DNJ-2016P.N.1151
RRT-2017 P.N.1037
AIR-1990 P.N. 540
RLW-2008 P.N. 3599
RLW-2015 P.N. 1530
RLW-2008 P.N. 1298
RLW-2008 P.N. 1390
RRD-2013 P.N.368
DNJ-2015 P.N.444
WLN-2015 P.N.441

हमने प्रार्थनापत्रों पर वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजो का अध्ययन किया। यह सही है कि वादीगण ने वादपत्र में जो बिन्दु अंकित किये गये हे उनमें उन्होने यह स्वीकार किया है कि वाग्रस्त आराजी को केता नौशेखा ने वादीगण के पिता अब्दुल सत्तार खां से दिनांक 26.06.1970 को क्रय कर लिया था तथा सम्पूर्ण प्रतिफल राशि केता से प्राप्त कर ली थी। किन्तु यह कहना संदेह प्रकट करता है कि यह रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अब्दुल सत्तारखां ने केता नौशेखां के पक्ष में निष्पादित नहीं किया। क्योंकि कोई भी विक्रयपत्र पंजीयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होने के पश्चात सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाने के पश्चात पंजीबद्ध किया जाता है तथा राजस्थान रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 में वर्णित सम्पूर्ण प्रक्रिया अपनाने के पश्चात ही पंजीबद्ध किया जाता है ओर उसी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व अभिलेख जमाबंदी में हल्का पटवारी द्वारा नामातकरण भरा जाता है ओर संबंधित गिरदावर उसकी जांच करने के बाद सही पाये जाने पर तहसीलदार द्वारा नामांतकरण को स्वीकार किया जाता है। तत्पश्चात उसका राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाता है। यहां यह भी उल्लेखनिय है कि उक्त विक्रय पत्र अपने पंजीयन की तिथि से आज दिन तक अस्तित्व में है, उसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त, शून्य या अकृत घोषित नहीं किया गया है। जहां तक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की वैधानिकता या अर्न्तवस्तु को जांचने या परखने का प्रश्न है यह क्षैत्राधिकार संबंधित सिविल न्यायालय को ही है यह अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। उक्त विक्रय पत्र सन् 1970 का हे जो लगभग 50 वर्ष पुराना है जबकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा–90 के तहत कोई दस्तावेज 30 वर्ष पुराना हो तथा उचित अभिरक्षा से पेश किया गया है, तो उसके असली होने की उपधारणा की जायेगी उसके बाद ही उसपर कोई कार्यवाही संभव है। किसी भी रजिस्टर्ड

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज.)

Scanned with CamScanner

दस्तावेज को चुनौति देने की समय सीमा परिसीमा अधिनियम 1963 में 3 वर्ष दिया गया है जबकि वादीगण द्वारा उल्लेखित विक्रय पत्र 50 वर्ष से अधिक पुराना है। वादीगण का इतनी लम्बी अवधि तक विक्रय पत्र के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में चुनौति नहीं देना भी कहीं ना कहीं संदेह प्रकट करता है। वादीगण को उक्त विक्रय पत्र के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर विक्रय पत्र निरस्तीकण की कार्यवाही करनी चाहिए थी जो उनके द्वारा नहीं की जाकर न्यायालय हाजा में उद्घोषणा का दावा पेश किया है जो राजस्व न्यायालय के क्षैत्रधिकार से बाहर है। वादीगण ने अपने जवाब में अंकित किया है कि विक्रयपत्र दिनांक 26.06.1970 वाईड एब इनिशियो है, क्योंकि दिनांक 26.06.1970 को वाग्रस्त भूमि की खातेदारी का इन्द्राज विक्रेता के नाम नहीं था न ही विक्रेता द्वारा ऐसा कोई विक्रय पत्र निष्पादित किया गया। इसलिए रेवेन्यू न्यायालय उक्त बैचान को वादीगण के अधिकारों के विरूद्ध प्रभावहीन घोषित करने में सक्षम है। यदि उनके द्वारा ऐसा कोई विक्रय पत्र निष्पादित नहीं किया है तो तत्समय उसे निरस्त कराने की कार्यवाही क्यों नहीं की गयी इसका कारण स्पष्ट नहीं किया है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि वादीगण के नाम रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से आयी है जो निष्पादित दिनांक से आज दिनांक तक वैध है। विक्रय पत्र को निरस्त कराने की कार्यवाही नहीं कर वादीगण द्वारा दावा उद्घोषणा खातेदारी का पेश किया है। विक्रय पत्र को निरस्त करने का क्षैत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। उपरोक्त विवेचन से यह न्यायालय प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश–7 नियम–11 व धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता को स्वीकार करना उचित समझता है।

आदेश

फलतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7, नियम 11 व धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता स्वीकार किया जाकर, वाद वादीगण बाबत उद्घोषणा, दुरूस्ती इनद्राज तथा स्थायी निषेधाज्ञा ख.न. 5329 व 6425 वाके कस्बा टोंक शर्की तहसील व जिला टोंक खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णित शुमार होकर, नंबर से कम की जाकर, दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11/1/2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(रतनलाल योगी)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, टोंक

Scanned with CamScanner